

कार्यालय प्रधानाचार्यः राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन, (उरई) 285001
पत्रांक संख्या- 5522/विज्ञापित/रा0मे0का0जा0/अधि0-1/2026 दिनांक- 20/02/2026

विज्ञापित-सूचना

राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सा महाविद्यालय जालौन, (उरई) के विभिन्न विभागों में आचार्य, सह-आचार्य, एवं सहायक आचार्य (संविदा) के रिक्त पदों पर आवेदन निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते हैं, साक्षात्कार (वाक् इन इंटरव्यू) विज्ञापित तिथि से 15 दिनों के उपरान्त एन0एम0सी0 के द्वारा जारी भारत का राजपत्र सं0-465, नई दिल्ली, सोमवार 30 जून 2025 के मानको अनुसार समस्त शैक्षणिक/अनुभव/आई0डी0/02 फोटो आदि, पत्रों के साथ माह के प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से शाम 04 बजे तक राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन, (उरई) के केंद्रीय पुस्तकालय में सम्पन्न होता रहेगा। उक्त विज्ञापन को राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन, (उरई) की वेबसाइट-www.gmcjalaun.com पर भी उपलब्ध है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है-

क्र0 स0	विभाग का नाम	विभागवार रिक्त पद								
		आचार्य			सह-आचार्य			सहायक आचार्य		
		SC/ST	OBC	GEN	SC/ST	OBC	GEN	SC/ST	OBC	GEN
01	अस्थिरोग विभाग	01	-	-	01	-	-	-	-	-
02	ई0एन0टी0 विभाग	-	-	01	-	-	01	-	-	-
03	एनाटॉमी विभाग	-	01	-	-	-	-	-	-	-
04	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	01	-
	कम्युनिटी मेडिसिन (एपिडि0 कम सहा0 आचार्य)	-	-	-	-	-	-	-	-	01
	कम्युनिटी मेडिसिन(एम0ओ0यू0एच0टी0सी0 कम सहा0 आचार्य)	-	-	-	-	-	-	01	-	-
05	जनरल मेडिसिन	-	-	01	-	01	-	-	02	02
06	आब्स एण्ड गायनी	-	-	-	-	-	01	-	-	-
07	टी0वी एण्ड चैस्ट	-	-	01	-	-	-	-	-	01*
08	दन्तरोग विभाग	-	01	-	-	-	-	-	-	-
09	डर्मेटोलॉजीवेनरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी विभाग (चर्म रोग विभाग)	01	-	-	-	-	01	-	-	-
10	पैथोलॉजी विभाग	-	-	01	01	-	-	-	-	-
11	फार्माकोलॉजी विभाग	01	-	-	-	-	-	01	-	-
12	फिजिकल मेडिसिन पी0एम0आर0	-	-	01	-	-	-	-	-	-
13	फिजियोलॉजी विभाग	-	01	-	-	-	-	-	-	01
14	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	01*	-	-	-	-	01	-
15	बायोकेमेस्ट्री विभाग	-	-	-	-	-	-	-	-	01
16	माइक्रोबायोलॉजी विभाग	-	-	-	-	-	-	01	-	01
17	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	-	01	-	-	01	-	-	-	01
18	रेडियोथेरेपी विभाग	-	-	01	-	-	01	-	01	-
	फिजिस्टि लेक्चरर रेडियोथेरेपी विभाग	-	-	-	-	-	-	-	-	01*
19	साइकियाट्री विभाग (मनोरोग विभाग)	01	-	-	-	01	-	-	-	-
20	एनेस्थीसिया विभाग	-	-	01	-	-	-	01	-	01
21	रक्तकोष विभाग	-	-	-	-	-	-	-	01	-

नियम व शर्तः-

- चयनित संविदा अभ्यर्थियों को सामान्य राजकीय सेवा (संविदा) नियमावली तथा शासन की नीतियों एवं निर्धारित नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- इस साक्षात्कार हेतु कोई भी यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा, शासन द्वारा नियुक्ति किये जाने पर संविदा पद हेतु नियत मानदेय/वेतन देय होगा।
- चयन के सम्बन्ध में चयन समिति/शासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा, तथा चयन समिति को आवश्यकतानुसार किसी भी बिना किसी पूर्व सूचना के विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- चयन/नियुक्ति कि प्रक्रिया नियमानुसार आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार ही पूर्ण की जायेगी किन्तु आरक्षण रोस्टर के सम्बन्धित भविष्य में शासन से यदि कोई अन्य निर्देश प्राप्त होते हैं, तो चयन की प्रक्रिया उक्त निर्देशों के अनुसार ही सम्पादित/निर्धारित कि जायेगी।
- संविदा चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित निर्गत शासनादेश दिनांक-10.06.2020 के अनुसार निर्धारित अधिकतम उम्र (60, 64, 68 वर्ष) का पालन अनिवार्य होगा, एम0डी0/एम0एस0 अभ्यर्थी का एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 में स्थाई पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- 06-एन0एम0सी0 के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-465, नई दिल्ली, 30 जून 2025 के अनुसार अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी कि नियुक्ति संविदा के आधार पर एक वर्ष अथवा विज्ञापित पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये ही होगी। इसके उपरान्त अभ्यर्थी चयनित पद पर स्थायीकरण, नियमितीकरण अथवा शासनादेश के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है, जिसके लिये शासन एवं संस्था को पूर्ण अधिकार होगा। कतिपय विभागों के रिक्त पदों हेतु पूर्व में प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, चयन/प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन हैं, यदि उक्त पदों पर नियुक्ति आदेश शासन द्वारा निर्गत किया जाता है, तो उन पदों पर पुनः चयन/भर्ती नहीं होगी एवं वह पद स्वतः शून्य माने जायेंगे।
- आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान कि जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक कि सेवायें नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने/महानिदेशक से सेवा बाण्ड के आधार पर चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है। संविदा छोड़ने की स्थिति में 01 माह का नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का वेतन/मानदेय जमा करना होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) का प्रमाणपत्र दिनांक-01.01.2025 के पश्चात का ही मान्य होगा।
- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।

अभ्युक्ति- 01-अनारक्षित कॉलम में दशाये गये स्टार चिन्ह को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये हैं।


(डा0 अरविन्द विवेकी)
प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज